ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के लिए देशव्यापी दूरगामी पहल (पीएसबी)

www.canarabank.com
Toll Free Helpline 1800 1030

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

निवासी व्यक्ति के लिए खाता खोलने का फार्म (भाग-I)

* नियम व शर्तों के साथ

नियम व शर्तों के साथ ग्राहक सूचना शीट (सीआईएफ सृजन/संशोधन)
(संयुक्त खातों के मामले में (भाग-I) (सीआईएफ शीट) प्रत्येक ग्राहक के लिए लिया जाय)

दिनांक: दि दि म म व व व व

शाखा का नाम : ________ शाखा कोड ________

बैंक/शाखा द्वारा नाम और कोड नंबर वाली रबर मुहर लगाई जाए

तारांकित (*) को भरना अनिवार्य है। कृपया बड़े अक्षरों में भरें और हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग करें
(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

ग्राहक आई डी: ________ आवेदन का प्रकार: ☐ नया ☐ अद्यतन

खाता संख्या : ________ सीकेवाईसी संख्या: ________
(सीकेवाईसी अद्यतन अनुरोध हेतु अनिवार्य)

खाते का प्रकार : ☐ सामान्य ☐ लघु ☐ नाबालिग ☐ कर्मचारी ☐ कर्मचारी संख्या

1. व्यक्तिगत विवरण

नाम * (जैसा पहचान पत्र में है) उपनाम ☐☐☐ प्र थ म ना म … म ध्य म ना म … अं ति म ना म

विवाह पूर्व उपनाम ☐☐☐ प्र थ म ना म … म ध्य म ना म … अं ति म ना म

जन्म तिथि * दि दि म म व व व व   लिंग * ☐ पुरुष ☐ महिला ☐ अन्य   वैवाहिक स्थिति * ☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ एकल ☐ तलाकशुदा ☐ अलग रहनेवाले ☐ वस्तुतः ☐ अन्य

पिता का नाम उपाधि ☐☐☐ प्र थ म ना म … म ध्य म ना म … अं ति म ना म
(यदि पैन नहीं दिया गया है तो पिता का नाम अनिवार्य है)

माता का नाम उपाधि ☐☐☐ प्र थ म ना म … म ध्य म ना म … अं ति म ना म

जीवनसाथी का नाम उपाधि ☐☐☐ प्र थ म ना म … म ध्य म ना म … अं ति म ना म

आश्रितों की संख्या ☐☐

निरक्षर ☐ हाँ ☐ नहीं   यदि हाँ, पहचान चिह्न :

अभिभावक का नाम (अवयस्क के मामले में *) उपाधि ☐☐☐ प्र थ म ना म … म ध्य म ना म … अं ति म ना म
अभिभावक के साथ संबंध ________

राष्ट्रीयता*: ☐ भारतीय ☐ अन्य   देश का नाम : ________   नागरिकता ________

सेवा*: ☐ राज्य सरकार ☐ केंद्र सरकार ☐ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ☐ रक्षा ☐ निजी क्षेत्र

व्यवसाय*: ☐ उद्योगपति ☐ व्यापार(ट्रेड)क्षेत्र ☐ सेवा क्षेत्र ☐ प्रवासी श्रमिक ☐ ठेकेदार ☐ जौहरी/बुलियन व्यापारी ☐ गिरवी की दुकान ☐ आयात/निर्यात ग्राहक ☐ अन्य स्व-नियोजित

अन्य: ☐ चिकित्सा व्यवसायी ☐ कानूनी व्यवसायी ☐ सीए/आईसीडब्लूए/कराधान/वित्त ☐ इंजीनियर/आर्किटेक्ट/टेक. सलाहकार ☐ सेवानिवृत्त ☐ पत्रकार ☐ गृहिणी ☐ छात्र ☐ शेयर और स्टॉक ब्रोकर ☐ अन्य व्यवसायी ☐ कृषि ☐ राजनीतिक/समाज सेवक

वार्षिक आय *: ₹ ________   निवल मालियत (लगभग मूल्य) ₹ ________

धर्म : ☐ हिंदू ☐ मुस्लिम ☐ ईसाई ☐ सिख ☐ अन्य ________

श्रेणी : ☐ सामान्य ☐ अ.पि.व. ☐ अ.जा. ☐ अ.ज.जा.

दिव्यांग : हाँ ☐ नहीं ☐ यदि हाँ ☐ I. नेत्रहीन ☐ ii. भिन्न क्षमता वाले

शैक्षणिक योग्यता: ☐ ९वीं कक्षा तक पास ☐ १०वीं कक्षा तक पास ☐ स्नातक (सामान्य) ☐ स्नातकोत्तर (सामान्य) ☐ मेडिकल स्नातक/स्नातकोत्तर ☐ इंजीनियरिंग स्नातक/स्नातकोत्तर ☐ विधि स्नातक/स्नातकोत्तर ☐ सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए/सीएफए ☐ कंप्यूटर डिग्री/डिप्लोमा/एमसीए ☐ अन्य पेशेवर डिग्री/डिप्लोमा ☐ अशिक्षित

संगठन का नाम: ________ पदनाम/पेशा : ________ कारोबार की प्रकृति : ________

लागू बाक्स पर टिक करें ☐ राजनीतिक रुप से सजग व्यक्ति ☐ राजनीतिक रुप से सजग व्यक्ति से संबंधित ☐ कोई नहीं

आईएसओ कोड 3166 निवास के अधिकार क्षेत्र का देश कूट* ☐☐ (भारत के लिये कोड आईएन है)

राजनीतिक रूप से अरक्षित व्यक्ति वे हैं जिन्हें विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया है या सौंपा जा चुका है अर्थात। राज्य / सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ नेता / वरिष्ठ सरकारी / न्यायिक / सैन्य अधिकारी / राज्य के स्वामित्व वाले निगम के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के प्राधिकारी, आदि।

कर निवास का देश केवल भारत में और भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र में नहीं ☐ हाँ ☐ नहीं (यदि नहीं तो फटका (एफएटीसीए) विवरण फॉर्म अनुबंध II भरें ।)

पैन* ________ (यदि पैन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो फार्म 60 अनुबंध I जमा करें)

2. संपर्क विवरण (सभी संप्रेषण प्रदत्त मोबाइल नं./ईमेल-आईडी पर भेजे जाएंगे)

मोबाइल नं. ________ ईमेल आईडी ________

टेलीफोन नं. (कार्यालय) ________   टेलीफोन (नं.) (आवास) एस टी डी ________

3. पहचान / पते का प्रमाण (कृपया उपयुक्त बॉक्स (किसी एक आईडी प्रकार पर टिक करें) और विवरण दें)*

☐ क-पासपोर्ट ☐ ख- वोटर पहचान कार्ड ☐ ग-ड्राइविंग लाइसेंस ☐ आधार संख्या धारण प्रमाण (सत्यापन) ☐ घ-ई केवाईसी ☐ ऑफलाइन
☐ ङ एनआरईजीए जॉब कार्ड ☐ च-राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम व पता दिया गया हो

दस्तावेज संख्या/पहचान संख्या

जिसके द्वारा जारी किया गया

जारी करने की तिथि* दि दि म म व व व व अवधि समाप्ति तिथि (यदि लागू हो):* दि दि म म व व व व

लघु खाते : केवल स्वप्रमाणित फोटो

4. पता विवरण ☐ वर्तमान ☐ स्थायी ☐ विदेश में

पते का प्रकार ☐ निवास/व्यवसाय ☐ निवास ☐ व्यवसाय ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ अनिर्दिष्ट

पता

शहर/गाँव*: जिला*:

राज्य*: पिन*: देश का नाम :

5. पता विवरण ☐ पत्राचार ☐ स्थानीय ☐ वर्तमान / स्थायी पते के समान

पते का प्रकार ☐ निवास/व्यवसाय ☐ निवास ☐ व्यवसाय ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ अनिर्दिष्ट

पता

शहर/गाँव*: जिला*:

राज्य*: पिन*: देश का नाम :

6. यदि दिए गए आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) में वर्तमान पता नहीं है, तो कृपया नीचे दिया गया कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें।

☐ उपभोक्ता बिल ☐ पीपीओ/एफपीपीओ ☐ प्रापर्टी या मुनिसिपल टैक्स की रसीद

☐ नियोक्ता / राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किया गया आवास आंबटन पत्र। इसी तरह आधिकारिक आवास आबंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के लीव और लाइसेंस करार

☐ स्व-घोषणा (यदि स्वेच्छा से पहचान के उद्देश्य के लिए आधार प्रदान किया गया है और वर्तमान पता केंद्रीय पहचान डेटा पुनर्प्राप्ति पता में अलग-अलग है तो, यूआईडीएआई - द्वारा उपलब्ध कराए गए ई- केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके आधार नंबर का प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है।

दस्तावेज संख्या तारीख : दि दि म म व व व व

7. घोषणा सह वचन सह स्व प्रमाणन

1. मुझे दी गई खाता खोलने के फॉर्म नियम और शर्तों की प्रति मैंने पढ़ ली है। नियम और शर्तें मुझे / हमें स्पष्ट की गई हैं और मैंने/हमने इन्हें समझ लिया है। मैं/हम उन्हें स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।
2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने पीएमएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए स्वेच्छा से पहचान और / या पते के प्रमाण के लिए यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है।
3. मुझे इस बात पर सहमति है कि बैंक यूआईडीएआई के साथ इसका सत्यापन कर सकता है और बायोमेट्रिक/ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से बैंक को पहचान और पता जारी करने के लिए यूआईडीएआई को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता हूँ। ☐ हाँ ☐ नहीं
(डी बी टी कॉलाम उठाने के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग अनिवार्य है।)

फोटो

कृपया हाल ही के पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं (स्टेपल न करें)

आवेदक का हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

कृपया केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें

स्थान : दिनांक : दि दि म म व व व व

8. कार्यालय के उपयोग /अनुप्रमाणन हेतु

प्राप्त दस्तावेज ☐ स्व प्रमाणित ☐ सत्यापित ☐ नोटरी

1. खाता खोलने की प्रक्रिया के लिए प्राप्त स्व प्रमाणन व दस्तावेज को सत्यापित किया गया और सही पाया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित नियम व शर्तों की प्रति प्राप्त की गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि खाते के संचालन के लिए निहितार्थ और शर्तें जमाकर्ता को समझाई गई हैं (अशिक्षित आवेदक के मामले में अनिवार्य)
4. आरम्भिक सीमा बी आई एस संगठन कूट ग्राहक खंड

सी आई एफ खोलने की अनुमति है ☐

जमाकर्ता का प्रकार ☐ निरक्षर ☐ दृष्टि बाधित ☐ स्टाफ S T A F F P F जोखिम श्रेणी:* ☐ उच्च ☐ मध्यम ☐ निम्न

एक या दो पहचान चिह्नों का विवरण, यदि कोई हो, जैसे कोई तिल या निशान (अशिक्षित आवेदक के लिए अनिवार्य)

सत्यापन व्यक्तिगत रूप से किया गया और आवेदक का हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान सत्यापित किया गया

प्राधिकारी का नाम: कर्मचारी संख्या S T A F F P F पदनाम

तिथि दि दि म म व व व व एसएस न. हस्ताक्षर

व्यक्तिगत खाता खोलने का फार्म (भाग-II)

(बचत बैंक, चालू खाता और सावधि जमा)

दिनांक: दि दि म म व व व व

(*) को भरना अनिवार्य हैं। कृपया केवल बड़े अक्षरों में भरें और हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग करें

(केवल कार्यालय के उपयोग के लिए)

प्रथम आवेदक ग्राहक आईडी

द्वितीय आवेदक ग्राहक आईडी

खाता संख्या :

बैंक/शाखा द्वारा नाम और कोड नंबर वाली रबर मुहर लगाई जाए

मैं/हम आपसे अनुरोध करता/करती हूं/करते हैं कि आप मेरा/ हमारा जमा खाता अपनी शाखा / बैंक में निम्नानुसार खोलें: (टिक (√) संबंधित खाता)

1. खाते का प्रकार

☐ बचत खाता ☐ बीएसबीडीए ☐ बीएसबीडीए लघु खाता ☐ चालू खाता (व्यक्तिगत) ☐ मीयादी जमा/ आरडी ☐ कैपिटल गेन (एसबी)

2. परिचालन का तरीका

☐ स्वयं ☐ दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी ☐ पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी ☐ कोई एक या उत्तरजीवी ☐ संयुक्त रूप से परिचालित ☐ अन्य ____________________

3. अपेक्षित सेवाएं

1. एटीएम -सह-डेबिट कार्ड

प्रथम आवेदक ☐ हाँ ☐ नहीं

द्वितीय आवेदक ☐ हाँ ☐ नहीं

नाम जैसा कार्ड पर चाहिए

कार्ड प्रकार : प्रथम आवेदक - (ए) रूपे (बी) वीज़ा (सी) मास्टर द्वितीय आवेदक - (ए) रूपे (बी) वीज़ा (सी) मास्टर

अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स व्यापारियों के साथ लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक अनिवार्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की अक्षम स्थिति के साथ कार्ड की आपूर्ति की जाएगी जिसे आवश्कता पड़ने पर उपलब्ध चैनल के साथ सक्षम किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग बिना पिन के,समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक संपर्क रहित लेनदेनों के लिए किया जा सकता है।

(क्रमांक 2 से 6 तक की सेवा के लिए मोबाइल संख्या अनिवार्य है)

2. चेक बुक ☐ हां ☐ नहीं
(केवल नियमित बचत खाता/चालू खातों के लिए)
(कैपिटल गैंस खाते के लिए- चेक बुक की सुविधा नहीं)
(बीएसबीडी खातों के लिए - कुल पात्रता के अंतर्गत आवश्यकता आधारित चेक बुक, मान लीजिए एक वर्ष में 10 पन्नों के 5 चेकबुक, यानी एक वर्ष में अधिकतम 48 निकासी)

3. इंटरनेट बैंकिग चाहिए
लेन-देन अधिकार चाहिए
प्रथम आवेदक ☐ हाँ ☐ नहीं
द्वितीय आवेदक ☐ हाँ ☐ नहीं
(दोनों में से एक या उत्तरजीवी मोड द्वारा संचालित केवल एकल परिचालित खातों के लिए उपलब्ध है। पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी मोड के रुप में परिचालित खातों के मामले में, आईएमबी (इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग) सुविधा केवल पहले आवेदक के लिए उपलब्ध होगा।)

4. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट ☐ हाँ ☐ नहीं

5. फोन बैंकिंग सेवाएं ☐ हाँ ☐ नहीं

6. मोबाइल बैंकिंग ☐ हाँ ☐ नहीं

7. पासबुक चाहिए (बचत खाता के लिए) ☐ हाँ ☐ नहीं

8. ई स्टेटमेंट(मासिक अंतराल पर) पेपर प्रति के बदले ☐ चाहिए ☐ नहीं चाहिए

4. मीयादी जमा : निम्नलिखित उत्पादों / सुविधाओं के लिए, कृपया विकल्प/विवरण प्रस्तुत करें

☐ मीयादी जमा (एफडीआर) ☐ कामधेनु जमा (केडीआर) ☐ वार्षिकी जमा ☐ केन टैक्स सेवर ☐ कैपिटल गेन (टीडीआर)

राशि : रु. ________________ रु. (शब्दों में) ________________________________

अवधि : ________________ वर्ष ________________ मास ________________ दिन

अशिक्षित जमाकर्ता(ओं) के मामले में जमाकर्ता का नाम, राशि और जमा की अवधि, पर्यवेक्षक।अधिकारी द्वारा प्रमाणित ।	पर्यवेक्षक/अधिकारी के हस्ताक्षर

सावधि जमा के विषय में देय ब्याज # ☐ मासिक ☐ त्रैमासिक ☐ कैलेंडर तिमाही ☐ छमाही ☐ वार्षिक

परिपक्वता निर्देश@ ☐ स्वत: नवीनीकरण * मूल और निवेश वापसी ब्याज ☐ स्वत: नवीनीकरण * मूल एवं ब्याज ☐ मूलधन एवं ब्याज भुगतान ☐ रु. _______ के आंशिक राशि सहित स्व-नवीकरण

* (नवीनीकरण के दिन प्रचलित ब्याज दर पर समान अवधि के लिए स्व-नवीनीकरण किया जाएगा।)

@ # (सभी देय ब्याज और परिपक्वता निर्देश विकल्प सभी बैंकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। विकल्पों के लिए संबंधित बैंकों से संपर्क करें।

परिपक्वता तीथि के पहले का आहरण / आंशिक आहरण / विस्तारण आदि लागू दंड आकर्षित करते है |

भुगतान निर्देश (परिपक्वता प्रक्रिया / शेष राशि) :

☐ मेरे खाते में जमा द्वारा ☐ बैंकर चेक/ड्राफ्ट जारी करें

5. ऑटो स्वीप

जमा का प्रकार ☐ मीयादी जमा (एफडीआर) ☐ कामधेनु जमा (केडीआर) जमा की अवधि : ________________ वर्ष ________________ मास

मैं / हम एतदद्वारा सहमति देता/देती हूँ/देते है कि बचत बैंक और चालू खाते पर सामान्यतया लागू सेवा प्रभार मेरे / हमारे खाते को नामे किए जाएं।

मैं/हम एतदद्वारा सहमति देता/देती हूँ/देते है कि नियम और शर्तो के अनुसार आटो स्वीप सुविधा मुझे/हमें देने के लिए मेरे/हमारे बचत बैंक/चालू खाते को नामे (डेबिट) किया जाए

लिंक्ड बचत बैंक/चालू खाता संख्या :

ऑटो स्वीप को तोड़ने के लिए रिवर्स स्वीप सुविधा के अन्तर्गत, ऑटो स्वीप जमा को तोड़ा जाए:* ☐ लॉस्ट इन फस्ट आउट ☐ फस्ट इन फस्ट आउट

(* अप्रतिदेय के संबंध में जमाओं पर ऑटो स्वीप की सुविधा नहीं होगी।)

6. ☐ आवर्ती जमा ☐ धनवर्षा

☐ मासिक /कोर मासिक किश्त: रु. ____________ रु. (शब्दों में) ____________________ अवधि : ________ वर्ष ________ मास

☐ स्थायी अनुदेश (यदि कोई है) डेबिट खाता संख्या :

☐ परिपक्वता पर आगम राशि को खाते में जमा करें।

☐ बैंकर चेक/ड्राफ्ट जारी करें ______________ अवधी के लिए एफडीआर/केडीआर जारी करें। ________वर्ष ________माह ________दिन

कृपया उपरोक्त सावधि जमा के लिए लागू टीडीएस (दिए गए बचत बैंक/चालू खाता संख्यासे) की कटौती करें।

संयुक्त खातों के मामले में, आय कर प्रावधान केवल प्राथमिक/प्रथम खाताधारक के लिए ही लागू होगें।

7. नामांकन (आवश्यक होने पर फॉर्म डीए -1 भरें)

फार्म डीए -1 (नामांकन फार्म)

नामांकन का विवरण पंजीकरण संख्या : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

बैंक जमा के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और नियम 1985 के तहत नामांकन।

मैं/हम .... निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करते हैं जिसे मेरी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में इस जमा राशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है केनरा बैंक द्वारा वापस कर दी जाए .... (शाखा / कार्यालय का नाम और पता जिसमें जमा राशि रखी गई है) द्वारा लौटायी जाए।

☐ मैं / हम चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं कि नामांकित व्यक्ति का नाम पासबुक पर छपा हो

जमा का विवरण

जमा का प्रकार : ________________________ खाता संख्या : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

नामिती का विवरण

नाम : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

नामिती का मोबाइल संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

जमाकर्ता के साथ संबंध .... आयु .... वर्ष नामिती के जन्म की तिथि (अवयस्क होने की स्थिति में) दि दि म म व व व व

आयु वर्ष

जैसा कि इस तिथि को नामांकित व्यक्ति अवयस्क है मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..

पता .... को मेरी /नामिती की मृत्यु की स्थिति में अवयस्क की अवयस्कता की अवधि के दौरान जमा राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ। (व्यक्तिगत के अलावा अन्य के पक्ष में नामांकन अमान्य है।)

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)	(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)

प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर	द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर
नाम:.................................... हस्ताक्षर..............................	नाम:.................................... हस्ताक्षर..............................
पता..	पता..
....	....

(साक्षी तभी आवश्यक हैं यदि आवेदक निरक्षर है और उसने अंगूठे का निशान लगाया है) तिथि दि दि म म व व व व स्थान ____________

☐ मैं/हम इस खाते के लिए किसी को नामित नहीं करना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)	**(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)**

8. घोषणा सह वचन सह स्व प्रमाणन

1. मुझे/हमें दिए गए खाता खोलने के फॉर्म की प्रति में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों को मैंने/हमने पढ़ लिया है। नियम और शर्तें मुझे / हमें स्पष्ट की गई हैं और मैंने/हमने उन्हें समझ लिया है और उसे मैं/हम स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।
2. **(अवयस्क के खाते के संबंध में)**
   मैं इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अवयस्क जिसकी जन्मतिथि .... है जो मेरा .... है और मैं उसका नैसर्गिक और विधिमान्य संरक्षक हूँ जिसे न्यायालय के आदेश दिनांक .... द्वारा नियुक्त किया गया है(प्रतिलिपि संलग्न) मैं उपरोक्त खाते में किसी भी विवरण के संबंध में भविष्य के लेन देन में उक्त अवयस्क का प्रतिनिधित्व करूंगा/करूँगी जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता है। मैं उपरोक्त अवयस्क के दावे के पर बैंक को उसके खाते में किसी भी आहरण /लेनदेन के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार हूँ।
3. **(सावधि जमा खातों के मामले लागू (अगर जरूरी नहीं है, तो काट दें)**
   मैं/हम यह वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि सावधि जमा दोनों में से एक या पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी आवेदन -सह-जमा पर्ची के परिचालन अनुदेशों के मामले में , जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में उत्तरजीवी या पूर्ववर्ती के मामले में मृतक जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना आवेदन के साथ मृतक जमाकर्ताओं के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, समय से पहले समाप्ति /भुगतान करने की अनुमति दे दी जाएगी।
4. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरा किसी अन्य बैंक / शाखा में बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) नहीं है (बीएसबीडी खाता के संबंध में लागू)

स्थान :
तिथि :

(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)	(आवेदकों के हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)

कार्यालय के उपयोग/अनुप्रमाणन के लिए

(केवल कार्यालय के उपयोग हेतु)
खाता खोलें
तिथि : ☐☐☐☐☐☐☐☐ (अधिकृत हस्ताक्षरी)

i) इंटरनेट बैंकिंग (आईएनबी)किट नं..		संक्षिप्त हस्ताक्षर
ii) इंटरनेट बैंकिंग देखने के अधिकार ☐ लेनदेन के अधिकार ☐ दिए गए	दि दि म म व व व व	संक्षिप्त हस्ताक्षर
iii) एटीएम कार्ड भेजने की तिथि :	दि दि म म व व व व	संक्षिप्त हस्ताक्षर
iv) नामांकन क्रमांक :	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	संक्षिप्त हस्ताक्षर
v) प्रारंभिक (केवाईसी) सीमा:	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	संक्षिप्त हस्ताक्षर
vi) फोन बैंकिंग :	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	संक्षिप्त हस्ताक्षर

	क्रम संख्या	आद्याक्षर
खाता		
सीआईएफ लिंकिंग		
वैयक्तिकृत चेक		
रिटेल इंटरनेट बैंकिंग		
एमबीएस		
एमएमएस अलर्ट		
पोस्टिंग(प्रविष्टि)को हटाना		
स्कैनिंग		

बचत खाता खोलने के लिए नियम व शर्तें

1. मैं संपुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने ''बैंक'' तथा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाओं जिनमें डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग/टेली बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/वर्चुअल बैंकिंग और कई अन्य सुविधाएं शामिल हैं, किंतु केवल यही नहीं, से संबंधित नियम व विनियम पढ़ और समझ लिए हैं। मैं बैंक/नियामक/सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्रों, अधिसूचनाओं, सूचना पट्ट/वेबसाइटों/समाचार-पत्र प्रकाशनों आदि के माध्यम से इनमें सूचित संशोधनो/परिशोधनों का अनुपालन करने के लिए करार करता/करती हूँ। इन संशोधनों/परिशोधनों के संबंध में मुझे व्यक्तिगत सूचना दिए जाने के अधिकारों, यदि कोई हों, का परित्याग करता/करती हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरे यूज़र आईडी एवं पासवर्ड/पिन/ओटीपी के तहत इंटरनेट, मोबाइल, टेलीबैंकिंग अथवा वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे खाते/(तों) में किए गए लेनदेन व अनुरोध मुझ पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी होंगे और मैं ऐसे मामलों में अधिप्रमाणन परिचय विवरणों तथा किसी अन्य जानकारी/विवरणों/ओटीपी/पिन, आदि की गुप्तता और गोपनीयता के लिए जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। मैं सहमति देता/देती हूँ कि बैंक को सभी अधिकार हैं कि वह जो कोई सेवा प्रभार, खर्च या अन्य देय राशियाँ मुझसे वसूल करने का हकदार/देनदार है, मेरे खाते के नामे(डेबिट) कर सके। मैं बैंक को प्राधिकृत भी करता/करती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि मुझे कोई सूचना दिए बिना मेरा खाता बंद/समाप्त किया जा सकता है। मैं एतदद्वारा वचन देता/देती हूँ कि मेरे पत्राचार के पते अथवा संगठन में कोई परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करूँगा/करूँगी।
2. आधार ब्योरे के अनुसार खोले गए खातों के संबंध में, मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को पीएमएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन करने के लिए पहचान करने और/अथवा पते के प्रमाण के तौर पर स्वेच्छा से प्रस्तुत किया है और मैं एतदद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि बैंक यूआईडीएआई के साथ इसका सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई को अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत करता/करती हूँ कि वह बैंक को बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन के माध्यम से मेरी पहचान और मेरा पता जारी कर सकता है। मैं इस खाते को एनपीसीआई मैपर के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जिससे मैं इस खाते में भारत सरकार से एलपीजी सब्सिडी सहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त कर सकूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मुझे एक से अधिक लाभ अंतरण मिलना होगा तो मुझे इस खाते में सभी लाभ अंतरण मिलेंगे।
3. मैं पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे बैंक में खाता खोलने और/अथवा खाता रखने या किसी अन्य रूप में बैंक के साथ लेनदेन करने से किन्हीं लागू कानूनी/नियामक/अनुबंधात्मक या अन्य प्रावधानों द्वारा प्रतिकृत/प्रतिषिद्ध/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
4. मैं करार करता/करती हूँ कि मेरा व्यक्तिगत केवाईसी ब्योरा केंद्रीय केवाईसी रजिस्टरी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सकता है। मैं एतदद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मैं बैंक/केंद्रीय केवाईसी रजिस्टरी/भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से जानकारी प्राप्त करूँगा/करूँगी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा कोई एसएमएस/ई-मेल प्राप्त न होने पर होने वाली किसी हानि या क्षति, चाहे जो कोई भी हो, के लिए बैंक देनदार न हीं होगा।
5. मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस मामले में मैंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचना क्र. एस.ओ. 2155(ई) दिनांक 7 अगस्त 2015 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285बीए के अंतर्गत और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संदर्भ संख्या डीबीआर. एएमएल.बीसी.नं.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 के अंतर्गत लागू नियमों और बाद में इनमें हुए परिशोधनों/संशोधनों के अनुसार अपनी हैसियत घोषित की है।
6. मैं समझता/समझती हूँ, स्वीकार करता/करती हूँ और प्राधिकृत करता/करती हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस मामले में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवासीय स्थिति और/अथवा उसके तहत निर्धारित अन्य मापदंडों के आधार पर बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरे खाते(तों) का ब्योरा विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) और/ अथवा ऐसी ही किन्हीं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स (आईजीए) के अनुसार दायित्वों का पालन करना होगा।
7. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऋण खाता खोलने और यहाँ अन्य सेवाएं प्राप्त करने या वेबसाइट के माध्यम से /इलेक्ट्रोनिक रूप में जैसे मुझ पर लागू है/हैं। ऋण खाता खोलने के लिए और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी जिस पर मैने हस्ताक्षर किए हैं/जिसे मैंने अधिप्रमाणित किया है या जिसके लिए मैंने दस्तावेजी साक्ष्य दिया है, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और मैंने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई नहीं है जिससे मेरे खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल अकाउंट अथवा अन्य रिपोर्टेबल खाते या अन्य किसी खाते के निर्धारण/श्रेणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि यहां मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना एवं जानकारी गलत या असत्य या भ्रामक या तात्विक तथ्य को दबाई हुई पाई जाती है तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
8. मैं इस जिम्मेदारी के लिए वचन देता हूँ कि तत्काल घोषणा और प्रकटीकरण करूँगा/करूँगी और किसी भी स्थिति में परिवर्तन की तारीख या यहाँ उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर या कोई प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है या उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी अधिक से अधिक 30 दिनों में दूँगा/दूँगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि मैं नया और वैध स्व-प्रमाणन दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जब भी मांग की जाएगी उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी; यहाँ की गई सभी घोषणाएं और दिए गए वचन भी यहां मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज/जानकारी में किए गए ऐसे सभी परिशोधन/संशोधन भी तब तक लागू होंगे जब तक कि बैंक को उपर्युक्तानुसार संशोधित स्व-प्रमाणन उपलब्ध नहीं करा दिए जाते।
9. मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मुझे इस समय या भविष्य में ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी के प्रकटीकरण में चूक या दस्तावेजों/सूचना/अन्य ब्योरे में किसी कमी को निर्धारित समय में दूर करने में मेरे द्वारा कोई चूक किए जाने पर मैं खाते में लेनदेन से अविधिमान्य हो जाऊँगा/जाऊँगी और बैंक अपने अधिकारों के तहत उक्त प्रयोजन से मेरे खाते के परिचालन प्रतिबंधित करने या इसे बंद करने या किसी नियामक को और/अथवा सरकार द्वारा नामित किसी प्राधिकरण/भारतीय रिज़र्व बैंक इसकी सूचना दे सकेगा या सीबीडीटी/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत बैंक द्वारा उचित समझी गई कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा।
10. मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि कोई अन्य विवरण बैंक को प्रस्तुत और सूचित करूँगा/करूँगी जो उपर्युक्त मामले में या किसी अन्य मामले में भारत में या विदेश में किसी कानून में कोई परिवर्तन होने के कारण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
11. मैं बैंक को उस प्रत्येक हानि/नुकसान की क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी जो बैंक को यहाँ प्रदत्त ब्योरे में कोई दोष/गलती के कारण या मेरे द्वारा गलत और अधूरी जानकारी देने के कारण होगा।
12. मैं वचन देता/देती हूँ कि बैंक की अपेक्षानुसार समय समय पर केवाईसी जानकारी को अद्यतन करने के लिए आवश्यक नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ आंकड़े/जानकारी प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।
13. मैं समझता/समझती हूँ कि बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित ग्राहक सम्यक तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) पूरी करने के बाद ही यह खाता सक्रिय किया जाएगा और इसमें नामे की अनुमति दी जाएगी।
14. यदि खाता पैन के बिना खोला जाता है तो मैं वचन देता/देती हूँ कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उस तारीख को या उसके पहले पैन प्रस्तुत करूँगा/करूँगी, ऐसा धनशोधन (अभिलेख रखरखाव) नियमावली 2005 के अनुसार न करने पर पैन प्रस्तुत करने के समय तक खाते में परिचालन नहीं किया जा सकेगा।
15. यदि खाता खोलते समय वर्तमान पते के लिए वैध समझा गया कोई दस्तावेज नहीं दिया जाता है तो मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं खाता खोलने के 3 मास में वर्तमान पते के प्रमाणस्वरूप आधार या कोई अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करूँगा/करूँगी, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उस समय मेरा खाता परिचालित नहीं रहेगा।
16. मुझे स्वागत किट प्राप्त हो गई है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग किट और एटीएम/चेक बुक शामिल है और मैं समझता/समझती हूँ कि किट के सामग्री के किसी दुरुपयोग/गलत जगह पर रख दिए जाने के कारण बैंक किसी हानि/क्षति के लिए देनदार नहीं होगा।
17. मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि बचते बैंक खाते का उपयोग मेरे द्वारा केवल गैर-व्यावसायिक/गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन के लिए किया जाएगा। यदि ऐसा कोई लेनदेन किया जाता है या ऐसा कोई लेनदेन वणिज्यिक/व्यावसायिक/संदेहजनक या अवांछनीय पाया जाता है तो बैंक को यह अधिकार है कि उस खाते में एकतरफा परिचालन रोक दे और/अथवा उस खाते को बंद कर दे।
18. मुझे खोले जाने वाले खाते के औसत मासिक शेष (एएमबी) की अपेक्षा के बारे में बताया गया है और मैंने इसे समझ लिया है कि इन अपेक्षाओं में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है और ये संशोधन/परिवर्तन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे जो मुझे इस आशय की सूचना के रूप में स्वीकार्य होंगे।
19. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि बीएसबीडी खाते की उत्पाद विशेषताएं (बीएसबीडी खाते के लिए आवेदन हेतु लागू) मुझे स्पष्ट कर दी गई हैं।
20. छोटे खातों के लिए लागू। मुझे इस बात की जानकारी है कि यह खाता प्रारंभ में बारह महीने के लिए परिचालित रहेगा और ओवीडी के लिए लागू साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर इसे और बारह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। पूरी छूट/प्रावधानों की समीक्षा चौबीस महीनों के बाद की जाएगी।
21. मुझे बताया गया है कि यदि मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं दूँगा तो मैं एटीएम नकदी आहरण को छोड़कर अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन सुविधा के लिए पात्र नहीं रहूंगा/रहूंगी।
22. (समाज कल्याण लाभों के लिए खोले गए खातों हेतु लागू)
    मैं समझता/समझती हूँ कि यह खाता बीएसबीडी श्रेणी के तहत खोला जाएगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैं बीएसबीडी खाता जारी नहीं रखना चाहूँगा/चाहूँगी और सामान्य बचत बैंक रखना चाहूँगा/चाहूँगी तो मुझे सामान्य बचत बैंक खाते के लिए आवश्यक औसत मासिक शेष (एएमबी) रखना होगा। इसलिए मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं सामान्य बचत बैंक खाता रखना चाहूँगा/चाहूँगी तो मुझे खाते में एएमबी अवश्य बनाए रखना होगा।
23. (अवयस्कों के नाम में खोले गए खातों के लिए लागू)
    मैं समझता/समझती हूँ कि आवेदक के वयस्क होते ही औसत मासिक शेष (एएमबी) की अपेक्षा और इस अपेक्षा को पूरा न किए जाने पर इस खाते में दंड लगाया जाएगा। अत: मैं वचन देता हूँ कि मेरे वयस्क होने की तिथी से मैं औसत मासिक शेष राशि(एएमबी) बनाए रखूंगा ।रखूंगी।
24. मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं वचन देता/देती हूँ कि इनमें कोई परिवर्तन होने पर तत्काल आपको सूचित करूँगा/करूँगी और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि इनमें से कोई विवरण झूठे या असत्य या भ्रामक या तात्विक तथ्य को दबाने वाले पाए गए तो मैं इसके लिए देनदार रहूंगा/रहूंगी ।
25. मैं पुष्टि करता हँ कि मैं आभासी मुद्राओं में कारोबार नहीं करूंगा और आभासी मुद्राओं से संबंधित किसी भी सेवा के लिए अपने खाते का उपयोग नहीं करूंगा या आभासी मुद्राओं के साथ कारोबार या निपटाने में किसी व्यक्ति या इकाई को सुविधा नहीं दूंगा।
26. मैं समझता हूँ कि वित्तीय वर्ष के दौरान 04 अवसरों पर धन की कमी की वजह से ऋण चुकौती / चेक अस्वीकरण / एनएसीएच / ईसीएस के लिए असफल स्थायी निर्देश की स्थिति में कोई नया चेक बुक जारी नहीं की जाएगी, खाते को बंद भी किया जा सकता है।
27. मैं / हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्पाद से संबंधित खाते की विशेषताएं मुझे बता दी गई हैं।
28. मैं बचत बैंक खाते के नियमों और विनियमों की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ।

(आवेदकों के हस्ताक्षर / आवेदकों के अंगूठे का निशान)   (आवेदकों के हस्ताक्षर / आवेदकों के अंगूठे का निशान)

पावती डीए -1

हम, आपके द्वारा के पक्ष में किए गए नामांकन की पावती देते हैं :   दिनांक :

नामिता व्यक्ति का नाम...उम्र:..................... वर्षो:............   भवदीय

आपके खाते के संबंध में | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

पंजीकरण संख्या | | | | | | | | | | | | | बैंक प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

बचत बैंक नियम (संक्षेप में)

अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश : खाता खोलने की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कोई व्यक्ति, निर्धारित नियमों का पालन करने की सहमति देकर, बचत बैंक खाता खोल सकता है, बशर्ते वह बैंक द्वारा अपेक्षित पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करे।

नामांकन एवं उत्तरजीविता सुविधा : नामांकन सुविधा बचत बैंक खातों में उपलब्ध है और खातेदारों को सूचित किया जाता है कि अकल्पित परिस्थितियों में कानूनी वारिसों द्वारा दावे के शांतिपूर्ण निपटान के लिए इस सुविधा का उपयोग किया जाए। नामांकन केवल एक नामिती के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन नहीं करना चाहते तो खाता खोलने के फॉर्म में यह तथ्य दर्ज किया जा सकता है जिस पर उन्हें अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे। उत्तर जीविता लाभ वाले संयुक्त खाते का परिचालन उन परिस्थितियों में उत्तरजीवी द्वारा किया जा सकता है।

खातों के प्रकार, शेष संबंधी शर्त और सेवा प्रभार : आवेदक चेकबुक सुविधा या बिना चेकबुक खाता खोल सकते हैं। बचत बैंक खातों के लिए निर्धारित वर्तमान मासिक औसत शेष तथा न्यूनतम शेष न रखने पर निर्धारित प्रभार बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। नाबालिग के खातों के सिवाय, बचत बैंक खाते में अधिकतम शेष राशी के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं है।

अवयस्कों के खाते : अवयस्क जो एकसमान हस्ताक्षर रख सकते हैं और जिनकी आयु 10 वर्ष से कम नहीं है अपने एकल नाम मैं खाते खोल सकते हैं और उनमें ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख केवल) की अधिकतम शेष राशि जमा रख सकते हैं। अवयस्क अपने संरक्षकों के साथ संयुक्त खाते खोल सकते हैं।

खाता कैसे खोलें ? : सामान्यतया, आवेदक (कों) को खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए स्वयं उपस्थित होना चाहिए | वे निर्धारित आवेदन पत्र विधिवत स्वयं भरेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। आवेदक (कों) को केवाईसी दस्तावेज, भारतीय रिज़र्व बैंक/सीबीडीटी को जैसे लागू है तदनुसार घोषणा करनी होगी और हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार के अपने दो फोटो प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक खाता ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। खातेदारों के हस्ताक्षर ठीक से किए हुए और पठनीय होने चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में या ब्लॉक लैटर्स मैं नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक अलग खाता क्रमांक दिया जाएगा। बैंक के साथ लेनदेन करते समय खातेदार (रों) को अपना खाता क्रमांक अवश्य उद्धृत करना चाहिए। खातेदारों के अपने हित में है कि वे बैंक में दर्ज कराए गए नमूना हस्ताक्षरों के अनुसार खाता परिचालित करते समय और बैंक के साथ कोइ पत्राचार आदि करते समय समान हस्ताक्षर करें।

पासबुक : खातेदार को दी गई पासबुक और चेकबुक सुरक्षित स्थान पर रखी जानी चाहिए। इस संबंध में खातेदारों की लापरवाही के कारण कोई हानि या गलत भुगतान होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। आहरण फॉर्म दूवारा नकदी निकालते समय पास बुक अवश्य प्रस्तुत की जाए। चेक फॉर्म और डेबिट कार्ड का उपयोग करके आहरण बिना पास बुक भी किया जा सकता है। राशि जमा करते समय पास बुक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। पास बुक नियमित रूप से अद्यतन कराई जाए। लेनदेन पूरा होने के तुरंत बाद पास बुक विधिवत अद्यतन करके खातेदार को लौटा दी जाएगी। यदि यह एक सप्ताह के भीतर वापस प्राप्त नहीं की जाती है तो यह रजिस्टर्ड ए.डी. डाक/कूरियर द्वारा लौटा दी जाएगी, जिसका खर्च खातेदार को वहन करना होगा। खातेदार पास बुकों में की गई प्रविष्टियों की ध्यानपूर्वक जांच कर लें और यदि कोई भूल या चूक दो तो इसे बैंक के ध्यान में लाएँ। गुम हुई या कटी-फटी पास बुक के बदले डुप्लीकेट पास बुक खातेदार के लिखित अनुरोध पर आवश्यक पूछताछ करने, औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित प्रभार वसूल करने के बाद जारी की जाएगी। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर मैं उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

चेक बुक : बैंक पहली पास बुक खाता खोलने के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जारी करेगा। बैंक चेक बुक लागू प्रभार वसूल करके ही जारी करेगा। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र में उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खातेदार बैंक दूवारा उन्हें जारी चेक बुकों का ही उपयोग करें। बैंक को यह अधिकार है कि वह अन्य किसी प्रकार से जारी किन्हीं चेकों का भुगतान करने से इनकार कर दे। सामान्यतया, बैंक एक बार मैं एक से अधिक चेक बुक जारी नहीं करेगा या पिछली बार जारी चेक बुक के सभी पन्ने समाप्त होने के पहले या सभी चेक पन्ने लगभग समाप्त होने पर जारी करेगा। चेक ऐसे लिखे जाने चाहिए कि इन्हें ठीक से पढ़ा जा सके। जारी या गुम हुए चेकों के संबंध मैं भुगतान रोकने के अनुदेश निर्धारित सेवा प्रभार भुगतान करके बैंक में पंजीकृत कराए जा सकते हैं। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

सामान्य : बचत बैंक खाता मूलतः बचत राशि को जमा करने की एक सुविधा है। इसका उपयोग चालू खाते के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बैंक के पास यह मानने का यदि कोई कारण होगा कि खातेदार ने अनुमत प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खाते का उपयोग किया है तो बैंक उस खाते को बंद कर देगा। बैंक द्वारा किसी भी लेनदेन के जवाब में एसएमएस अलर्ट उचित संचार माना जाएगा तथा उधारकर्ता उक्त संचार से बाध्य होगा।

जमाराशियां : केवल तीन नकदी जमा लेनदेन एक महीने में निःशुल्क किए जा सकते हैं। नॉन होम शाखा में नकदी जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं। ₹ 10/- से कम राशि जमा करने के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। चेक, ड्राफ्ट या अन्य लिखत जो खातेदार के नाम में आहरित खाते में जमा करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे। खातेदार के पक्ष में परांकित अन्य पक्ष लिखत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्वीकृत लिखतों पर कोई आहरण तब तक सामान्यतया स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनकी उगाही नहीं की गई होगी। संतोषजनक ढंग से संचात्रित खातों में बाहरी / स्थानीय लिखतों की राशि समय समय पर निर्धारित मूल्य तक तत्काल जमा कर दी जाएगी। सामान्य कलेक्शन और ऑउट ऑफ पॉकिट चार्जिस वसूल किए जाएंगे। वर्तमान सीमा और इसके लिए निर्धारित चार्जिस बैंक वेबसाइट और संपर्क केंद्र में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। अतिदेय ब्याज बिना भुगतान वापस आए लिखतों पर वसूल किया जाएगा।

खाते से पैसा निकालना (आहरण): खातेदार बैंक के मानक आहरण फॉर्म का उपयोग करके अपने साधारण बचत बैंक खाते से स्वयं पैसा निकाल सकता है। आहरण फॉर्म के साथ पासबुक या कोई भी एक आधिकारिक वैध दस्तावेज आवश्यक है। आहरण फॉर्म खातेदार द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त करने के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड का भी एटीएम से पैसा निकालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। खातेदार ₹ 50 से कम राशि नहीं निकाल सकता। सभी आहरण केवल पूर्ण रुपये में होने चाहिए। अन्य पक्ष भुगतान आहरण फॉर्म से करने की अनुमति नहीं है। यदि खातेदार स्वयं पैसा निकालने के लिए आने में असमर्थ हो तो किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से एक प्राधिकार-पत्र निर्धारित प्रारूप मैं पास बुक के साथ खाते से नकद पैसा प्राप्त करने के लिए बैंक को भेजा जाना चाहिए। किसी एक चेक फॉर्म से कम से कम ₹ 50 की राशि निकाली जा सकती है। किसी खाते से अधिकतम कितनी निःशुल्क डेबिट प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खाते में कितना औसत मासिक शेष है या बैंक भी यह राशि समय समय पर निर्धारित कर सकता है। इस सीमा से अधिक प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। नकद आहरण बीमार, वृध्द या अक्षम खाताधारकों के खातों से की जा सकती है, जो बैंक मैं उपस्थित होने में असमर्थ हैं और/या निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए नकदी निकालने के लिए अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने में सक्षम नहीं हैं।

ओवरड्राफ्ट : बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट केवल पूर्व व्यवस्थाओं से असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत किया जाएगा। खाते में शेष से अधिक राशि के चेक भुगतान किए बिना वापस कर दिए जाएंगे। खाते में पर्याप्त शेष न होने पर बिना भुगतान वापस आने वाले एक चेक के लिए हर बार सेवा प्रभार वसूल किए जाएंगे। निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं भी प्राप्त की जा सकती है।

अपारिचालित खाते : खातेदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपने खाते नियमित रूप से परिचालित करें। अपरिचालित खातों को पिछले खाता परिचालन के 24 महीनों के निर्धारित समय में अपरिचालित के रूप में श्रेणिबद्ध कर दिया जाएगा। इस संबंध में निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थायी अधिदेश : खातेदार बैंक से अनुरोध कर सकता है कि वह आवधिक रुप से बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क आदि का भुगतान सेवा प्रभार वसूल कर उसके खाते में नामे डालकर करे। इस सबंध में निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज का भुगतान : भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशनुसार समय समय पर लागू ब्याज दरों के अनुसार ब्याज की गणना दैनिक गुणनफल आधार पर की जाएगी। ब्याज तिमाही अंतरालों पर खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज का भुगतान तभी किया जाएगा यदि उसकी राशि दर या अधिक होगी। उसके बाद 50 पैसे और अधिक को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और अन्यथा उसे अनदेखा किया जाएगा। यदि प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा खाते में परिचालन पर रोक लगा दी जाती है तो भी खाते में नियमित रूप से ब्याज जमा किया जाता रहेगा।

खाते का स्थानांतरण और बंद करना : खाताधारक(ओं) के अनुरोध पर बैंक की शाखाओं के बीच खातों का स्थानांतरण किया जा सकता है। खाता बंद करने के अनुरोध में बंद करने का कारण बताना चाहिए। ऐसे अनुरोध के साथ पासबुक भी होनी चाहिए। संयुक्त खाते केवल ऐसे सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही बंद किए जा सकते हैं। यदि खाता खोलने के 4 दिन से लेकर एक वर्ष तक के बाद बंद किया जाता है तो निर्धारित दर पर सेवा शुल्क वसूला जाएगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खातों को ऑनलाइन भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

1. अनियमित आरडी खाता वह है, जिसमें किश्तों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है, लेकिन खाता अपनी परिपक्वता तक चालू रहता है। ऐसे आरडी खातों को लागू दंडात्मक शुल्क के साथ विलंबित किश्तों का भुगतान करके नियमित किया जा सकता है।
2. जिन आर.डी. खातों को 5 दिन पूरे नहीं हुए हैं, उन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3. उन आर.डी. खातों के लिए केवल लागू आर.ओ.आई. पर साधारण ब्याज देय है, जिन्होंने 15 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन 3 महीने पूरे नहीं किए हैं।
4. परिपक्वता से पहले बंद किए गए आरडी (नियमित) खातों के मामले में, 3 महीने पूरे होने के बाद, खाता खोलने की तिथि पर लागू वास्तविक अवधि के लिए लागू चक्रवृद्धि ब्याज या अनुबंध दर जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में, संबंधित आरडी खाते पर लागू परिपक्वता मूल्य का भुगतान किया जाएगा, जो कि बैंक के पास जमा राशि के पूरे महीनों के बराबर अवधि के लिए है। बिंदु (ई) में उल्लिखित अनुसार आवर्ती जमा को समय से पहले बंद करने पर 1 % का जुर्माना लगाया जाएगा।
5. "घरेलू(एनआरओ/एनआरई सावधि जमाओं को समय से पहले बंद करने/आंशिक रूप से निकालने पर बैंक 1.00% का जुर्माना लगाता है। इस तरह की समय से पहले बंद की गई/आंशिक रूप से निकाली गई जमाराशियों पर जमा की तिथि पर लागू प्रासंगिक राशि स्लैब के लिए लागू दर से 1.00% कम ब्याज मिलेगा और अवधि के लिए लागू ब्याज मिलेगा या जमा स्वीकार की गई दर से 1.00% कम ब्याज मिलेगा, जो भी कम हो।"" हालांकि, 7वें दिन (घरेलू/एनआरओ जमाराशियों के लिए) पूरा होने से पहले समय से पहले बंद की गई सावधि जमाराशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 3 करोड़ रुपये से कम की घरेलू/एनआरओ/एनआरई सावधि जमाराशियों के समय से पहले विस्तार के लिए जुर्माना माफ किया जाता है, जहां विस्तार मूल रूप से सहमत अवधि से अधिक समय के लिए है।

नियमों में परिवर्तन: बैंक इन नियमों और सेवा शुल्कों में से किसी में भी परिवर्तन करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट और/या शाखा नोटिस बोर्ड के माध्यम से विधिवत सूचित किया जाएगा।

बीएसबीडी खाते की विशेषताएं: (i) बैंक शाखा के साथ-साथ एटीएम/सीडीएम में नकदी जमा करना। (ii) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा निकाले गए चेक के जमा/संग्रह के माध्यम से धन की प्राप्ति/जमा। (iii) महीने में जमा की जाने वाली राशि और जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं। (iv) एटीएम निकासी सहित न्यूनतम 4 निकासी। (v) एटीएम कार्ड या एटीएम-सह-डेबिट कार्ड|

अनुलग्नक-1
आयकर नियम, 1962

फॉर्म संख्या 60

(नियम ११४बी का दूसरा उपबंध देखें)

एक व्यक्ति या ऐसे किसी व्यक्ति (कोई कंपनी या फर्म नहीं) जिसके पास पर्मानेंट आकउंट नंबर (स्थायी खाता संखया) नहीं है और जो नियम ११४बी में निर्दिष्ट कोई भी लेनदेन करता है के द्वारा भरा जाने वाला घोषणा प्रपत्र।

1	प्रथम नाम		मध्य नाम		उप नाम		
2	जन्म तिथि /घोषणाकर्ता का समावेशन						
3	पिता का नाम (व्यक्ति के मामले में)						
4	फ्लैट नं./फ्लोर नं.						
5	परिसर का नाम / ब्लॉक नाम और नं.						
6	सड़क / गली / लेन						
7	क्षेत्र / स्थान						
8	नगर/ज़िला/राज्य						
9	पिन कोड						
10	दूरभाष संख्या (एसटीडी कोड के साथ)						
11	मोबाइल नंबर						
12	लेनदेन की राशि (रु.)						
13	लेनदेन की तारीख						
14	संयुक्त नामों में लेनदेन के मामले में, लेनदेन में शामिल व्यक्तियों की संख्या						
15	लेनदेन का माध्यम	नकद	चेक	कार्ड	ड्राफ्ट/बैंकर चेक	ऑनलाइन ट्रांसफर	अन्य
16	यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध है) :						
17	यदि पैन के लिए आवेदन किया है और यह अब तक नहीं मिला है तो आवेदन करने की तारीख और पावती संख्या लिखें : .... दिनांक :						
18	यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है तो, उस वर्ष की अनुमानित कुल आय लिखें (इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय भी शामिल करें), जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है (क) कृषि आय (₹) .... (ख) कृषि को छोड़कर अन्य आय (₹)						
19	कॉलम 1 में पहचान स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज़ का ब्यौरा (पीछे दिए अनुदेश देखें)	दस्तावेज़ कोड	दस्तावेज़ पहचान संख्या	दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता			
20	कॉलम 4 से 13 में पहचान स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज़ का ब्यौरा (पीछे दिए अनुदेश देखें)	दस्तावेज़ कोड	दस्तावेज़ पहचान संख्या	दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता			

सत्यापन

मैं, ... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जो ऊपर दिए गए तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास पर्मानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और मेरी/हमारी अनुमानित आय (इसमें आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय भी शामिल है) की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए की गई है जिसमें यह लेनदेन हुआ और यह लागू आयकर की अधिकतम छूट की राशि से कम है।

आज दिनांक ....माह..............................20.................. को सत्यापन किया गया।

स्थान : (घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

नोट:

1. घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता अपनी ओर से संतुष्टि कर लें कि इस फॉर्म में प्रस्तुत जानकारी हर तरह से सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणापत्र में झूठी जानकारी देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर दंड दिया जाएगा।
   - (i) यदि किसी मामले में कर चोरी की राशि पच्चीस लाख रुपये से अधिक होगी तो कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी और जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा;
   - (ii) अन्य किसी मामले में, कठोर कारावास का दंड जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी और इसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
2. यदि कॉलम २२बी में अनुमानित कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है तो व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना चाहिए, मद संख्या २१ को भरना चाहिए और आवेदन जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

निर्देश:

(1) दस्तावेज जो पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जाएंगे (यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और मद सं. 20 में भरा गया है, तो आवश्यकता नहीं):-

क्र. सं.		दस्तावेजों का प्रकार	दस्तावेज़ कोड	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
क	व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए				
	1	आधार कार्ड	01	हाँ	हाँ
	2	बैंक/डाक घर पासबुक जिस पर व्यक्ति का फोटो हो	02	हाँ	हाँ
	3	मतदाता फोटो पहचान पत्र	03	हाँ	हाँ
	4	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिस पर व्यक्ति का फोटो हो	04	हाँ	हाँ
	5	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हाँ	हाँ
	6	पासपोर्ट	06	हाँ	हाँ
	7	पेन्शनर फोटो कार्ड	07	हाँ	हाँ
	8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एनआरईजीए) जॉब कार्ड	08	हाँ	हाँ
	9	जाति या मूल निवास प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति का फोटो हो	09	हाँ	हाँ
	10	फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक 'ए' के अनुसार संसद या विधान सभा के सदस्य या नगरपालिका सभासद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान/पते का प्रमाण पत्र	10	हाँ	हाँ

क्र. सं.		दस्तावेजों का प्रकार	दस्तावेज़ कोड	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
	11	फॉर्म 49 ए में निर्धारित अनुलग्नक 'बी' के अनुसार नियोक्ता से प्रमाण पत्र।	11	हाँ	हाँ
	12	फोटोयुक्त किसान पासबुक	12	हाँ	नहीं
	13	लाइसेंसी हथियार	13	हाँ	नहीं
	14	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना/भूतपूर्व सैनिक अंशदायी - स्वास्थ्य योजना	14	हाँ	नहीं
	15	सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हाँ	नहीं
	16	बिजली बिल (3 महीने से पुराना का न हो)	16	नहीं	हाँ
	17	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 महीने से पुराना का न हो)	17	नहीं	हाँ
	18	पानी बिल (3 महीने से पुराना का न हो)	18	नहीं	हाँ
	19	उपभोक्ता गैस कार्ड/बुक या पाइप्ड गैस बिल (3 महीने से पुराना का न हो)	19	नहीं	हाँ
	20	बैंक खाता विवरण (3 महीने से पुराना का न हो)	20	नहीं	हाँ
	21	क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से पुराना का न हो)	21	नहीं	हाँ
	22	निक्षेपागार (डिपोजिटरी) खाता विवरण (3 महीने से पुराना का न हो)	22	नहीं	हाँ
	23	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	हाँ
	24	सरकार द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र	24	नहीं	हाँ
	25	पति/पत्नी का पासपोर्ट जिस पर व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हाँ
	26	संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से पहले का न हो)	26	नहीं	हाँ
ख	**व्यक्तियों के संघ (संस्थाओं) के लिए**				
	न्यास विलेख की प्रति या चैरिटी कमीशनर द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति		27	हाँ	हाँ
ग	**व्यक्तियों के संघ (ट्रस्टों को छोड़कर) या व्यक्तिगत निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।**				
	करार की प्रति या चैरिटी कमीशनर या सहकारी समिति पंजीयक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या केंद्र या राज्य सरकर के विभाग द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जिससे उस व्यक्ति की पहचान और पता प्रमाणित होता हो।		28	हाँ	हाँ

(2) यदि किसी अवयस्क के नाम पर लेनदेन किया गया है, तो उस अवयस्क के माता-पिता/संरक्षक की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किसी उपर्युक्त दस्तावेज को अवयस्क घोषणाकर्ता की पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा और घोषणापत्र पर माता-पिता/संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(3) हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के मामले में हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता के नाम पर कोई दस्तावेज होना चाहिए।

(4) यदि लेनदेन एक से अधिक व्यक्ति के नाम पर है तो क्रम संख्या 18 पर व्यक्तियों की कुल संख्या और क्रम संख्या 16 में लेनदेन की कुल राशि भरी जानी चाहिए।

यदि कॉलम 22बी में अनुमानित कुल आय, प्रभार्य आयकर की अधिकतम छूट की राशि से अधिक होगी तो उस व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना होगा और मद 21 भरना होगा तथा उक्त आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

अनुलग्नक-2

संबंधित व्यक्ति का ब्यौरा (अवयस्क के लिए भरा जाए)

ग्राहक आईडी: ________ सीकेवाईसी नं.: ________

खाता सं.: ________

नाम *: ____ प्रथम नाम ________ मध्य नाम ________ अंतिम नाम ________

☐ संबंधित व्यक्ति को जोड़ना ☐ संबंधित व्यक्ति को हटाना

संबंधित व्यक्ति का केवाईसी (यदि उपलब्ध है)* ________

संबंधित व्यक्ति का प्रकार * ☐ अवयस्क का संरक्षक ☐ समनुदेशिती ☐ प्राधिकृत प्रतिनिधि

उपाधि

नाम *: ____ प्रथम नाम ________ मध्य नाम ________ अंतिम नाम ________

(यदि केवाईसी नंबर और नाम दिया गया है तो नीचे ब्यौरा देना ऐच्छिक है)

संबंधित व्यक्ति की पहचान का प्रमाण (पीओआई)*

- ☐ क-पासपोर्ट
- ☐ ख-मतदाता पहचान पत्र
- ☐ ग-ड्राइविंग लाइसेन्स
- ☐ घ-यूआईडी(आधार)
- ☐ ङ-(एनआरईजीए) जॉब कार्ड
- ☐ च-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का ब्योरा हो
- ☐ छ-अन्य (केंद्र सरकार/आरबीआई द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज़)

दस्तावेज सं./पहचान संख्या * ________

जारी करने की तारीख:* d d m m y y y y समाप्ति की तारीख (यदि लागू हो): d d m m y y y y

टिप्पणी : ________

एफ ए टी सी ए (फटको) घोषणा पत्र

ग्राहक आईडी: ________ सीकेवाईसी नं.: ________

खाता सं.: ________

नाम *: ____ प्रथम नाम ________ मध्य नाम ________ अंतिम नाम ________

उपाधि आदि

नागरिकता *: ☐ आई एन-इंडिया ☐ अन्य देश का नाम: ________

जन्म स्थान/शहर *: ________ जन्म देश *: ________

पता * ________

शहर/गांव *: ________ जिला *: ________

राज्य *: ________ पिन *: ________

एकाधिक कर निवास : भारत के कर निवास के देश का ब्यौरा और/या यूएसए में @ और/या कोई अन्य देश या भारत के बाहर अधोलिखितानुसार कोई क्षेत्र :

कर निवास देश #	कर पहचान संख्या या समतुल्य यदि अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी किया गया है	पहचान प्रकार (टीआईएन या अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

@ * यूएस का नागरिक जिसने यूएस में पैदा हूआ लेकिन दूसरे देश का निवासी हो (जिन्हे यूएस की नागरिकता नहीं छोडी है)
* यूएस का निवासी कोई व्यक्ति जिसमें यूएस ग्रीन कार्ड धारक शामिल है
* कतिपय व्यक्ति जो प्रत्येक वर्ष यूएस में 180 दिनों से अधिक व्यतीत करते हैं

अधिकार क्षेत्र/देश में पता - जहाँ आवेदक टैक्स के प्रयोजन के लिए भारत के बाहर निवास करता है

पता* ________

शहर/गाँव*: ________ जिला* : ________

उप जिला: ________ राज्य* : ________

देश का नाम* ________ जिप/पोस्ट कोड* : ________

स्थान:

दिनांक: आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान